

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समन्वय पत्र व्यवस्था कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के बारे में ही किया जावे व
कि किसी अध्यक्ष पदाधिकारी जो बारे में
सम्बन्धित विषय पर अपने पूर्ण ने पत्र
व्यवस्था द्वारा ही तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य सिखा जावे जिससे समिति हो।



ग्राम : गुलीवर्डी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक-एफ/सम्बद्धता/2013/353

दिनांक: २२/०५/१३

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध भगवान द्वालेलाल महाविद्यालय, समाधिया कॉलोनी, ग्वालियर (0751-2454242) को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित श्री.डॉ. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत नियमानुसार समीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. ए.के. हन्ते, आचार्य, रसायन अध्ययनशाला, जी.पि.पि., ग्वालियर।
(0751-2442769)

(संयोजक)

(2) डॉ. रेतू श्रीवास्तव, बोर्स्टन महाविद्यालय, ग्वालियर।
(3) डॉ. आ.पी. बुद्धौलिया, शासकीय महाविद्यालय, भितरवार।

नियीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष नियीक्षण कर शुरू, ध्योहर राशि, वार्षिक शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापति प्रमाण-पत्र, अन्व, क्रीड़ा परिषद एवं पाठ्यक्रम/आडिनेट तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें।

स्थायी समिति की बैठक दिवांक 26 सितम्बर 2012 के पद क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये नियमानुसार नियीक्षण समिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का नियीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में नियीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। जिससे वे सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय नियीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेंगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं यथा समय सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेंगी तथा शासन के बिन्दुओं का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

गठन के 45 दिवस में Report प्राप्त होने की दिल्लिति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का नियीक्षण नहीं हुआ है। नियमानुसार अवर्दण जमा कराकर नवीन समिति ग्रहित की जावेगी। जिसे 15 दिवस में नियीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिनियम 27(1)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विवा छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

नियीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शास्त्र में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से नियीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। नियीक्षण समिति के सदस्यों को डी.ए. / डी.ए. / मानवदेव महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

3mm/13
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर नियीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का नियीक्षण करावें। उक्त नियीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलपति के सविव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

R
सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)